कोयला मंत्रालय मांग संख्या 10 कोयला मंत्रालय

(₹ करोड़)

संशोधित 2018-2018 संशोधित 2018-2018 संशोधित 2018-2018 राजस्व पूंजी जोड़ राजस्व पूंजी जाड़ राजस्व पूंजी जोड़ राजस्व पूंजी जाड़ राजस्व पूंज	19 जोड़ 781.85 781.85	इ राजस्व 5 822.05 	ं 2019-2020 पूंजी) जोड़ 822.05 822.05
कुल 722.21 688.98 1411.19 770.91 770.91 781.85 वस्तित्यां 688.98 688.98	781.85 	5 822.05 		822.05
वस्तियां प्राप्तियां688.98 -688.98				
प्राप्तियां निवस 722.21 772.21 770.91 770.91 781.85 क. वस्तियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है: केंद्र का व्यय केन्द्र का स्थापना व्यय 1. सिंचवालय 2. सांविधिक निकाय, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय 12.72 12.72 14.67 14.67 11.88 जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय केन्द्र का स्थापना व्यय 33.08 33.08 37.91 37.91 35.83 केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं कोयना और लिग्राइट 3. अनुसंधान और विकास 4. कोयला बानों में संरक्षण, सुरक्षा और अवसंरचना विकास 4. कोयला बानों में संरक्षण, सुरक्षा और अवसंरचना विकास 5. कोयला अपित लिग्राईट का अन्वेषण (सीवीए) कोय से विनापीपित स्कीम 6.01 कोयला समुद्ध क्षेत्र अधिग्रहण (सीवीए) कोय से विनापीपित स्कीम 6.01 कोयला समुद्ध क्षेत्र की अधिग्रहण (सीवीए) कोय से विनापीपित स्कीम 6.01 कोयला समुद्ध क्षेत्र की अधिग्रहण (सीवीए) कोय से विनापीपित स्कीम 6.01 कोयला समुद्ध क्षेत्र के अधिग्रहण (सीवीए) कोय से विनापीपित स्कीम 6.01 कोयला समुद्ध क्षेत्र के अधिग्रहण (सीवीए) कोय से विनापीपित स्कीम 6.01 कोयला समुद्ध क्षेत्र के अधिग्रहण (स्विधारण केय स्वाय व्याय व्याय प्रदार्श (स्वय स्वाय क्षेत्र का स्वाय व्याय व्याय प्रदार्श (स्वय स्वाय क्षेत्र का स्वाय क्षेत्र का स्वय प्रदार्श (स्वय स्वाय व्याय व्याय व्याय क्षेत्र का स्वय क्षेत्र केया क्षेत्र का स्वय क्षेत्र क				
क. बस्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार हैं: क. बस्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार हैं: क. बस्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार हैं: क. बस्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार हैं: क. बस्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार हैं: क. बस्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार हैं: क. बस्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार हैं: क. बस्तियां व्यय 1. सिववालय 20.36 20.36 23.24 23.24 23.95 12.72 14.67 14.67 11.88 जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय 33.08 33.08 37.91 37.91 35.83 केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं कोयला और लिग्नाइट 3. अनुसंधान और विकास 4. कोयला बानों में संस्थण, सुरक्षा और अवसंस्वना विकास 4. कोयला बानों में संस्थण, सुरक्षा और अवसंस्वना विकास 4. कोयला बानों में संस्थण, सुरक्षा और अवसंस्वना विकास 5. कोयला और लिग्नाईट का अन्वियां को कोय से विचर्गियित स्कीम 6.01 कोयला समुद्ध क्षेत्र में अधिग्रहण 8.88 688.98				
क. बसूबियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है: केंद्र का स्थापना व्यय 1. सिवालय 20.36 20.36 23.24 23.24 23.95 2. सांविधिक निकाय, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय 12.72 12.72 14.67 14.67 11.88 कोंद्र-केन्द्र का स्थापना व्यय 33.08 33.08 37.91 37.91 35.83 केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं कोयला और लिग्नाइट 3. अनुसंधान और विकास 4. कोयला बानों में संरक्षण, सुरक्षा और अवसंरचना विकास 499.55 499.55 200.00 200.00 200.00 5. कोयला और लिग्नाइट का अन्वेषण 5. कोयला समृद्ध क्षेत्र अधिग्रहण (सीवीए) कोय से विचारोयित स्कीम 6.01 कोयला समृद्ध क्षेत्र अधिग्रहण (सीवीए) कोय से विचारोयित स्कीम 6.01 कोयला समृद्ध क्षेत्र का अधिग्रहण 6. कोयला समृद्ध क्षेत्र का अधिग्रहण 6. का स्थापना समृद्ध कोत्र का अधिग्रहण 6. का सेवला समृद्ध कोत्र का अधिग्रहण 6. का स्थापना समृद्ध कोत्र का अधिग्रहण 6. का सेवला सम्बद्ध का स	781.85	5 822.05		822.05
केन्द्र का स्थापना व्यय 1. सचिवालय 2. सांविधिक निकाय, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय 3. 30.8 33.08 37.91 37.91 35.83 केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं कोयला और निग्नाइट 3. अनुसंधान और विकास 4. कोयला खानों में संरक्षण, सुरक्षा और अवसंरचना विकास 499.55 499.55 200.00 200.00 200.00 5. कोयला और निग्नाईट का अन्वेषण 159.28 159.28 500.00 500.00 500.00 6. कोयला समृद्ध क्षेत्र का अधिग्रहण 6.01 कोयला समृद्ध क्षेत्र का अधिग्रहण 8.80 688.98 688.98				
केन्द्र का स्थापना व्यय 1. सचिवालय 20.36 20.36 23.24 23.24 23.95 2. सांविधिक निकाय, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय 12.72 12.72 14.67 14.67 11.88 जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय 33.08 33.08 37.91 37.91 35.83 केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं कोयला और लिग्नाइट 3. अनुसंधान और विकास 4. कोयला खानों में संरक्षण, सुरक्षा और अवसंरचना विकास 499.55 499.55 200.00 200.00 200.00 5. कोयला और लिग्नाईट का अन्वेषण 159.28 159.28 500.00 500.00 500.00 6. कोयला समृद्ध क्षेत्र अधिग्रहण (सीबीए) कोष से वित्तपोषित स्कीम 6.01 कोयला समृद्ध क्षेत्रों का अधिग्रहण 6.88.98 688.98				
1. सचिवालय 20.36 20.36 23.24 23.24 23.24 23.95 2. सांविधिक निकाय, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय 12.72 12.72 14.67 14.67 11.88 जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय 33.08 33.08 37.91 37.91 35.83 केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं कोयला और लिग्नाइट 3. अनुसंधान और विकास 8.80 8.80 10.00 10.00 25.00 4. कोयला खानों में संरक्षण, सुरक्षा और अवसंरचना विकास 499.55 499.55 200.00 200.00 200.00 5. कोयला और लिग्नाईट का अन्वपण 159.28 159.28 500.00 500.00 500.00 6. कोयला समृद्ध क्षेत्र अधिग्रहण 688.98 688.98 6.00 मीवीप कोण से परा किया गुरा क्षा गुरा क्षा गुरा का प्राप्त का प्				
2. सांविधिक निकाय, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय 12.72 12.72 14.67 14.67 11.88 जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय 33.08 33.08 37.91 37.91 35.83 केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं कोयला और लिग्नाइट 3. अनुसंधान और विकास 4. कोयला खानों में संरक्षण, सुरक्षा और अवसंरचना विकास 4. कोयला खानों में संरक्षण, सुरक्षा और अवसंरचना विकास 5. कोयला और लिग्नाईट का अन्वेषण 6. कोयला समृद्ध क्षेत्र अधिग्रहण (सीबीए) कोष से वित्तपोषित स्कीम 6.01 कोयला समृद्ध क्षेत्र आधिग्रहण 688.98 688.98				
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय 33.08 33.08 37.91 37.91 35.83 केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं कोयला और लिग्नाइट 3. अनुसंधान और विकास 8.80 8.80 10.00 10.00 25.00 4. कोयला खानों में संरक्षण, सुरक्षा और अवसंरचना विकास 499.55 499.55 200.00 200.00 200.00 5. कोयला और लिग्नाईट का अन्वेषण 159.28 159.28 500.00 500.00 500.00 6. कोयला समृद्ध क्षेत्र अधिग्रहण (सीबीए) कोण से वित्तपोणित स्कीम 6.01 कोयला समृद्ध क्षेत्र अधिग्रहण 688.98 688.98	23.95	5 25.01	•••	25.01
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं कोयला और लिग्नाइट 3. अनुसंधान और विकास 8.80 8.80 10.00 10.00 25.00 4. कोयला खानों में संरक्षण, सुरक्षा और अवसंरचना विकास 499.55 499.55 200.00 200.00 5. कोयला और लिग्नाईट का अन्वेषण 159.28 159.28 500.00 500.00 500.00 6. कोयला समृद्ध क्षेत्र अधिग्रहण (सीबीए) कोष से वित्तपोषित स्कीम 6.01 कोयला समृद्ध क्षेत्रों का अधिग्रहण 688.98 688.98	11.88	13.89		13.89
कोयला और लिग्नाइट 3. अनुसंधान और विकास 4. कोयला खानों में संरक्षण, सुरक्षा और अवसंरचना विकास 499.55 499.55 200.00 200.00 200.00 5. कोयला और लिग्नाईट का अन्वेषण 6. कोयला समृद्ध क्षेत्र अधिग्रहण 6. कोयला समृद्ध क्षेत्र अधिग्रहण 6. कायला समृद्ध क्षेत्र का अधिग्रहण 6. कायला समृद्ध क्षेत्र अधिग्रहण 6. कायला समृद्ध क्षेत्र का अधिग्रहण 6. कायला समृद्ध क्षेत्र का अधिग्रहण 6. कायला समृद्ध का अधिग्रहण 6. का	35.83	38.90	•••	38.90
3. अनुसंधान और विकास 8.80 8.80 10.00 10.00 25.00 4. कोयला खानों में संरक्षण, सुरक्षा और अवसंरचना विकास 499.55 499.55 200.00 200.00 5. कोयला और लिग्नाईट का अन्वेषण 159.28 159.28 500.00 500.00 6. कोयला समृद्ध क्षेत्र अधिग्रहण (सीवीए) कोष से वित्तपोषित स्कीम 688.98 88.98 <				
4. कोयला खानों में संरक्षण, सुरक्षा और अवसंरचना विकास 499.55				
5. कोयला और लिग्नाईट का अन्वेषण 159.28 159.28 500.00 500.00 6. कोयला समृद्ध क्षेत्र अधिग्रहण (सीबीए) कोष से वित्तपोषित स्कीम 688.98	25.00	25.00		25.00
6. कोयला समृद्ध क्षेत्र अधिग्रहण (सीबीए) कोष से वित्तपोषित स्कीम 6.01 कोयला समृद्ध क्षेत्रों का अधिग्रहण 688.98 688.98	200.00	135.00		135.00
6.01 कोयला समृद्ध क्षेत्रों का अधिग्रहण 688.98 688.98	500.00	600.00		600.00
e oo मीत्रीम कोम से परा किया गया व्यय घरामं				
6 112 साबार कार्य संपर्धा कथा गया व्यय बटार ।				
6.02 पानार काम प्राप्ता पना जन पटार् जिन्नला	•••		•••	•••
	725.00			760.00
22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	725.00		•••	760.00
जाड़-कन्द्राय क्षेत्र का स्काम/पारयाजनाए	725.00	700.00	•••	700.00
स्वायत्त निकाय				
7. कोयला खान पेंशन स्कीम	21.02	2 23.15		23.15
कुल जोड़ 722.21 722.21 770.91 770.91 781.85	781.85			822.05
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
ख. विकासात्मकशीर्ष				

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			ৰजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
सामाजिक सेवाएं		•			.,			•			.,	
1. श्रम, रोजगार और कौशल विकास	21.50		21.50	23.00		23.00	21.02		21.02	23.15		23.15
जोड़-सामाजिक सेवाएं आर्थिक सेवाएं	21.50		21.50	23.00		23.00	21.02		21.02	23.15		23.15
2. कोयला और लिग्नाइट	680.35	•••	680.35	653.67	•••	653.67	664.38	•••	664.38	697.89		697.89
 सचिवालय- आर्थिक सेवाएं कोयला और लिग्नाइट पर पूंजी परिव्यय 	20.36		20.36	23.24	···	23.24	23.95		23.95	25.01 		25.01
जोड़-आर्थिक सेवाएं	700.71		700.71	676.91		676.91	688.33	•••	688.33	722.90		722.90
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र				71.00		71.00	72.50		72.50	76.00		76.00
जोड़-अन्य		•••	•••	71.00		71.00	72.50	•••	72.50	76.00		76.00
कुल जोड़	722.21		722.21	770.91		770.91	781.85		781.85	822.05		822.05
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जो	बजट इ सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	<i>(₹ करोड़)</i> जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
 एनएलसी इंडिया लिमिटेड 		5105.43	5105.4	3	4298.69	4298.69		6922.34	6922.34		. 8271.00	8271.00
2. कोल इंडिया लिमिटेड		9334.55	9334.5	5	9500.00	9500.00		9500.00	9500.00		. 10000.00	10000.00
 सिंगरेनी कॉलरीज़ कंपनी लिमिटेड 		1477.39	1477.3	9	2000.00	2000.00		1100.00	1100.00		. 1850.00	1850.00
जोड़	***	15917.37	15917.3	7	15798.69	15798.69		17522.34	17522.34	••	. 20121.00	20121.00

- 1. **सचिवालय:** इसमें सूचना प्रौद्योगिकी व्यय सहित कोयला मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था की गई है।
- 2. **सांविधिक निकाय, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय:** यह प्रावधान कोयला नियंत्रण कार्यालय, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी और उनकी स्थापना के लिए है।
- 3. **अनुसंधान और विकास:** इसमें कोयला उद्योग में प्रत्याशि अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के लिए प्रावधान शामिल है। इसका मुख्य क्षेत्र स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी का संवर्धन और परियोजना चलाने हेतु कोयला ब्लॉकों की पहचान करना है।
- 4. **कोयला खानों में संरक्षण, सुरक्षा और अवसंरचना विकास:** कोलफील्ड क्षेत्रों में कोयले की निकासी तक सड़क एवं रेल परिवहन अवसंरचना विकास के पश्चात खानों के स्थिर करने के लिए इसमें रेत भराई और संरक्षण के विभिन्न उपायों के लिए प्रावधान शामिल है। इसमें कोयला क्षेत्रों में भूमि सुधार और धंसान नियंत्रण सहित पर्यावरण सुरक्षा उपाय करने के लिए भी प्रावधान है।
- 5. **कोयला और लिग्नाईट का अन्वेषण:** यह प्रावधान कोयले की मांग में हुई पर्याप्त वृद्धि को पूरा करने के उद्देश्य से कोयले की उपलब्धता का आकलन करने हेतु आरंभिक ड्रिलिंग करने के लिए है। इसमें गैर-सीआईएल कोयला खनन ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग

के लिए भी प्रावधान है जिसमें कि सृजित की गई भूवैज्ञानिक रिपोर्ट खनन कोयला की तैयारी के लिए कोयला खनन और समय घटाने के संबंध में निवेश के निर्णय लेने में संभावित निवेशकों को मदद कर सके। इस कदम में कोयला खनन उद्योग में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यह योजना केंद्रीय खान योजना और डिजायन संस्थान लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) द्वारा क्रियान्वित की जाती है।

7. **कोयला खान पेंशन स्कीम:** कोयला खान पेंशन योजना 31 मार्च, 1998 से प्रवृत्त हुई। इस योजना के लिए निधियां कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं द्वारा कुल वेतन का 1.17% के अंशदान से बनती हैं। केन्द्र सरकार भी 1600 रूपए प्रतिमाह की अधिकतम सीमा की शर्त पर कर्मचारी के वेतन का 1.67% की दर से अंशदान करती है। इस योजना के संचालन की लागत अंशत: केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है।